न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 10/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रामजी राम पुत्र रगाजी जाति रेबारी निवासी निमतलाई तहसील रेवदर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मण्डार जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 4.12.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ग्राम निमतलाई के खसरा नम्बर 653/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण दर्शाते हुए पटवारी हल्का पीथापुरा ने उप तहसीलदार मण्डार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर उप तहसीलदार मण्डार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए, 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 26.03.2015 को निर्णय पारित करते हुए उक्त भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रथम अपील दायर करवाई, किन्तु वहां भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर उप तहसीलदार मण्डार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा। खसरा नम्बर 653/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि थी तथा इसी अनुरूप अपीलाण्ट काबिज काश्त था। मालाराम पुत्र पीथाजी मेघवाल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट एवं अन्य खातेदारों के विरूद्ध खसरा नम्बर 653 में से रास्ता खुलवाने का प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा दिनांक 09.11.2012 को आदेश पारित कर प्रार्थी को रास्ता प्रदान कराने एवं अप्रार्थीगण को डी0एल0सी0 दर की हुयी राशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की आज दिनांक तक पालना नही की गई तथा न ही अप्रार्थी/अपीलाण्ट को किसी प्रकार से राशि का भुगतान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

किया। इसके बावजूद अपीलाण्ट की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में इन्द्राज कर अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताते हुए उप तहसीलदार मण्डार द्वारा बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इन तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में दृष्टिगत नही रखा है तथा न ही अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निमतलाई के खसरा नम्बर 653/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.02 हैक्टेयर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निमतलाई के खसरा नम्बर 653/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार मण्डार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उप तहसीलदार मण्डार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट्स को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इन तथ्यों के समर्थन में प्रकरण संख्या 263/14 में उप तहसीलदार मण्डार के आदेश क्रमांक/2014/924 दिनांक 16.10.2014 की पालना में इस भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करने की फर्द बेदखली की प्रति प्रस्तुत की है, जिस पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का मुख्य उद्देश्य ही राजकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा अपील संख्या 25/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही